



प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी, 2021

विषय-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि ₹ 1,07,42,07,945.00 की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2422/यूपीडा/08/147, दिनांक 28.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-07 लेखा शीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 15-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित अवशेष धनराशि ₹ 351.61 करोड़ में से पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक देय ब्याज ₹ 1,07,42,07,945.00 (₹ 1 एक अरब सात करोड़ बयालिस लाख सात हजार नौ सौ पैतालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

- (1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। सम्पूर्ण धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके मासिक आधार पर आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।
- (4) यूपीडा का यह भी दायित्व होगा कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231 /2020, दिनांक 24.03.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक "2852-उद्योग-80- सामान्य- 800- अन्य-15- यूपीडा द्वारा संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-02/दस-2021 दिनांक 13.01.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-02/2021/2876(1)/77-3-2020, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।